भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1395
दिनांक 10.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा हेतु आने वाले रोगियों के लिए वीजा नियम

1395. सुश्री मिमी चक्रवर्ती
श्रीमती अपरुपा पोद्दार

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा पर्यटन के तहत इलाज के उद्देश्य से भारत आने वाले चिकित्सा रोगियों के लिए वीजा नियमो में ढील दी है:

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले लोगों के लिए चिकित्सा वीजा छूट के संबंध में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है:

(ग) क्या भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भारत में इलाज कराने आने वाले रोगियों के लिए आगमन पर वीजा अनुमोदन/स्वीकृति के लिए कोई संधि/नियम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) : भारत सरकार के पास चिकित्सा उपचार उद्देश्यों सहित एक उदार वीजा व्यवस्था है। इसके तहत रोगियों के साथ-साथ उनके परिचारकों को भी चिकित्सा वीजा सुविधा प्रदान की जाती है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए प्रदान किए जाने वाले नियमित/पेपर वीजा के अलावा ई-मेडिकल वीज़ा और ई-चिकित्सा अटेंडेंट वीज़ा (ई-वीज़ा व्यवस्था के तहत, जो आप्रवासन ब्यूरो/गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है) क्रमश: रोगियों और उनके परिचारकों के लिए उपलब्ध है।

चिकित्सा वीजा व्यवस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'हील इन इंडिया' पहल के अनुरूप है। नियमित चिकित्सा वीजा की सुविधा उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त, ई-वीजा के तहत, चिकित्सा उपचार उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) 2018 में शुरू हुआ, जो आवेदन करने के 72 घंटों के अंदर प्रदान किया जाता है। शुरुआत में यह सुविधा 142 देशों के नागरिकों को दी गई थी। वर्तमान में, 165 देशों के नागरिक ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा का लाभ उठा सकते हैं।

भारत का बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय वीज़ा सुविधा करार है, जिसमें रोगियों और उनके परिचारकों को भी मेडिकल वीज़ा देने के प्रावधान शामिल हैं। भूटान और नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों को वीज़ा की आवश्यकता होती है।

*****